

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 125/2023-24

दिनांक : 05.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मौहम्मद अरशद पुत्र श्री अब्दुल क्यूम,
पुरानी सुनहरी, किच्छा।

परिवादी

बनाम
अधिकांसी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद अरशद पुत्र श्री अब्दुल क्यूम का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KC2G322227121 (03 किलोवाट घरेलू) जो उनके परिसर पर लगा हुआ है। उन्होंने अपने उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 27.04.2023 को स्थायी रूप से बन्द कराने के लिए आवेदन किया था जिसके उपरांत विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन काट दिया गया है। विद्युत संयोजन काट दिए जाने के उपरांत उनके द्वारा विभाग में सम्पर्क कर अपनी जमानत की धनराशि वापिस किए जाने हेतु अनुरोध किया गया तो विभाग द्वारा उन्हें बताया गया कि इस सम्बन्ध में आपको चैक जारी किया जायेगा। तीन महीने बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा जमानत की धनराशि नहीं दी जा रही जबकि उनके पिता लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वह एक रक्षा कर्मी है जो काफी दूर तैनात है इसलिए उनके पिता जिनकी उम्र 70 से भी अधिक है उन्हें विभाग के बार-बार चक्कर लगवाये जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित जमानत की धनराशि वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकांसी अभियन्ता, वि०वि०ख०, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 03.08.2023 द्वारा

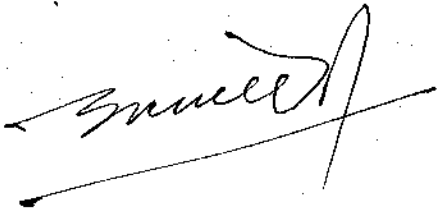
क्रमशः 2.....

नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023 व 05.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं दिनेश चन्द्र गुरानी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

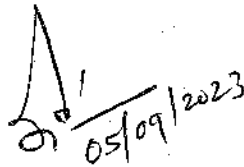
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-626 दिनांक 04.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है जिसका कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 सितम्बर 2023 को जारी कर परिवादी के विरुद्ध देयता बीजक रू0 (-) 1286.00 बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट, संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

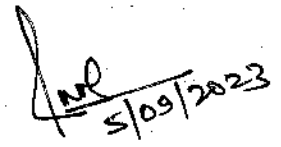
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य